उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

कन्फिस्केशन वाद संख्या–47 / 2020

राज्य बनाम राजकुमार यादव

आदेश

जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदनानुसार अद्योहस्ताक्षरी आदेश पत्रांक–425 / एम0 कोडरमा दिनांक 13.06.2020 के आलोक में दिनांक 21.10.2020 को समय 13:00 बजे अपराह्न में अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा की अध्यक्षता में गठित समिति में जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा, श्री जयपाल सोय कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा, वन क्षेत्र पदाधिकारी, कोडरमा, एवं खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, कोडरमा द्वारा कोडरमा जिलान्तर्गत कोडरमा अंचल के बोना काली में स्थित दुर्गा मंडप के पीछे स्थित क्वार्टज़ एवं फेल्सपार खनिज के गोदाम का औचक निरीक्षन किया गया।

निरीक्षण के दौरान स्थल पर श्री राजकुमार यादव, पिता– स्व0 ब्रहमदेव यादव, ग्राम+पो0– कोडरमा, थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा उपस्थित पाये गए, जिनसे पूछताछ पर बताया गया कि उक्त गोदाम मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में गोदाम में 1. क्वार्टज पाउडर 208 बोरा (50 किलोग्राम प्रति बोरा), 2. क्वार्टज पाउडर 148 बोरा (50 किलोग्राम प्रति बोरा), 3. क्वार्टज पाउडर 1904 बोरा (25 किलोग्राम प्रति बोरा), 4. फेल्सपार लम्पस (फैक्ट्री के उत्तर दिशा की ओर) 110 टन बिखरा हुआ, 5. क्वार्टज लम्पस (फैक्ट्री के पूर्व दिशा की ओर स्थित कच्ची सड़क के पूर्व दिशा की ओर) 105 टन बिखरा हुआ, 6. क्वार्टज लम्पस (फैक्ट्री के पूर्व दिशा की ओर स्थित कच्ची सड़क के दक्षिण दिशा की ओर) 170 टन बिखरा हुआ, 7. क्वार्टज लम्पस (फैक्ट्री के दक्षिण दिशा की ओर स्थित कच्ची सड़क के उत्तर दिशा की ओर) 675 टन बिखरा हुआ, 8. क्वार्टज लम्पस (फैक्ट्री के दक्षिण दिशा में स्थित कार्यालय के दक्षिण–पश्चिम की ओर) 320 टन बिखरा हुआ, 9. क्वार्टज लम्पस (फैक्ट्री के दक्षिण दिशा की ओर) 110 टन बिखरा हुआ, 10. क्वार्टज लम्पस (फैक्ट्री के सामने पूर्व दिशा की ओर) 190 टन बिखरा हुआ, 11. माईका फ्लेक्स डॉउन (फैक्ट्री के दक्षिण दिशा की ओर स्थित तीनों कमरों में) 2066 बोरा (50 किलोग्राम प्रति बोरा), भंडारित पाया गया। भंडारित खनिज के सम्बंध में श्री राजकुमार यादव द्वारा खनिज की वैधता के सम्बंध में कागजात तथा भंडारण अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कोई अन्य कागजात प्रस्तुत किया गया। स्थल पर भंडारित खनिज को जप्त कर लाना संभव नहीं होने के कारण उक्त खनिज को Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम–11 (i) के अनुसार जप्त करते हुए नियम–11 (iv) के अनुसार वही जप्ति सूचि बनाकर

श्री राजकुमार यादव, पिता– स्व0 ब्रहमदेव यादव, ग्राम+पो0– कोडरमा, थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा को सुरक्षा हेतु जिम्मा दिया गया एवं उक्त क्वार्टज़ एवं फेल्सपार गोदाम को सील कर दिया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के अनुसार उनके कार्यालय अभिलेख में श्री राजकुमार यादव, पिता– स्व0 ब्रहमदेव यादव, ग्राम+पो0– कोडरमा, थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा को खान एवं भूतत्व विभाग/जिला खनन कार्यालय, कोडरमा द्वारा कोई खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है।

Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम–11 (v) के आलोक में राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया।

विपक्षी राजकुमार यादव के द्वारा वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। जो निम्न प्रकार है :–

That as per prosecution a committee was constiued under the chairmanship of Civil S.D.O, Koderma and the said committee raided the godown of the respondent situated at Bouna Kali behind Durga Mandap in the godown of Flesper quartz and surprise inspection was made in the godown and the member of the committee was headed by Civil S.D.O., Koderma District Mining Officer, Koderma, and the Executive Magistrate Sri Jaipal Soy, Range Officer, Koderma, Mines Inspector, Distric Mining Officer, Koderma were the persons in the raiding party and during inspection the members of the committee found that in the godown was under the ownership of the respondent Raj Kumar Yadav and the committee found(i) quartz powder 208 bagss (50 K.G. containing in each bags), (ii) quartz powder 148 bagss (50 K.G. in each bags), (iii) quartz powder 1904 bagss (25 K.G. containing in each bags), (iv) Flesper Lumpas about 110 tone scattered towards northern side of the factory, (v) quartz Lumps about 105 tone scattered towards Eastern side of the factory, (vi) quartz Lumps about 170 tone scattered towards Eastern side of the factory, (vii) quartz Lumps about 675 tone scattered towards Southern side of the factory, (viii) quartz Lumps about 320 tone scattered towards Southern side of the factory, (ix) 110 tone quartz Lumps scattered towards Southern side of the factory, (x) quartz Lumps about 190 tone scattered in front of factory (xi) Mica Flakes Don about 2066 bag (containing 50 K.G. in each bag) were found in the factory of the respondent which were seized and the seized articles were handed over on Zimanama to the respondentand the factory of the respondent was sealed by the concerned officer Thereafter, he present Confiscation proceeding is initiated.

That the present confiscation case has been initiated att the instance of District Mining Officer, Koderma under Rule 11 (i) and Rules 11 (iv) of Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 whereby the learned court has been pleased to issue show-cause notice as to why the seized articles storage at the factory premises of the respondent be not confiscated?

आयुक्त का न्यायालय

That as per Rule 12 of the said Act the competent officer shall keep the seized material under the custody of an institution belonging to the Government or any responsible officer of the Government as far as possible but the seizing authority has not removed the seized articles or not kept it in institution belonging to the Government. The respondent cannot be deemed as caretaker of the seized articles. The premises of respondent is not hired by the Government or the District Mining Officer so handing over the custody of the seized articles o the respondent is also illegal.

It is therefore prayed that your Honour may be kindly be pleased to accept the show-Cause submitted by the respondent and be further pleased to dismiss the persent Consfiscation proceeding for the ends of justice.

दिनांक 28.01.2021 को विपक्षी राजकुमार यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः लिखित जवाब दाखिल किया गया जो निम्नवत है:–

That the present confiscation case filed by the the District Mining Officer, Koderma is not maintainable at all in absence of any criminal prosecution as the same is contrary to Section 21(4A) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 as there is no order of Chief Judicial Magistrate on Record. The continuance of this case more than three months is abuse of process of law as same should not have been admitted at the first place.

That Hon'ble Apex Court of India has been pleased to rule on 04-09-2014 in Criminal Appeal No-499 of 2011 and batch cases that illegal mining/ storage/ transportation of mineral is a cognizance offence under Section 21(6) of M.M.D.R Act, 1957. Hence, it is not option for D.M.O, Koderma in a cognizable offence not to file criminal complaint and opt for confiscation instead. Hence, this confiscation proceeding initiated by the D.M.O, Koderma is not maintainable at all in absence of criminal prosecution in terms of Section **21(4A) of M.M.D.R. Act, 1957**. In fact, D.M.O, Koderma has not resorted to criminal complaint as because he himself has referred the matter of licences under Bihar Mica Act, 1947 to State Government through Deputy Commissioner, Koderma in executive capacity. As such the actions of seizure/ confiscation are in hot haste and colourable exercise of power.

That the initiation of confiscation proceeding is indirect in conflict with article 19(i) (g) of constitution of India, as such, he present confiscation case is fit to be dismissed and the seal of the premises may kindly be directed to be removed because the premises of the respondent has been sealed illegally by the D.M.O, Koderma. The respondent is armed with all the valid documents and papers of the seized articles stored in his godown.

It is therefore prayed that your Honour may be kindly be pleased to dismiss the persent Consfiscation proceeding and be further pleased to direct the D.M.O, Koderma to removed the seal of the premises of the respondent for the ends of jusice. And It is further prayed that during pendency of the Confiscation Proceeding the interim order be passed staying the sealing of the premises of respondent as the respondent is not able to enter into has godown on account of So – called seizure. And for this act kindness, the respondent shall ever pray.

राज्य की ओर से जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के

न्यायालय में उपस्थिति होकर विषयांकित वाद में अपना पक्ष रखा गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कोडरमा जिला अन्तर्गत माईका, क्वार्टज़ एवं फेल्सपार खनिज का कार्यरत खनन पट्टा नहीं है। माईका, क्वार्टज़ एवं फेल्सपार एक लघु खनिज है। विपक्षी के पास Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के आलोक में खनिज के कारोबार करने हेतु आवश्यक स्टॉक लाईसेन्स नहीं है। फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि भण्डारणकर्त्ता द्वारा अवैध रूप से खनिज प्राप्त कर उसका भण्डारण कर व्यापार किया जा रहा है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा भण्डारित खनिज के राज्यसात नहीं किये जाने के संबंध में तथा जब्त भण्डारित खनिज के संबंध में पर्याप्त वैध साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया है।

उभय पक्ष के सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री राजकुमार यादव, पिता– स्व0 ब्रहमदेव यादव, ग्राम+पो0– कोडरमा, थाना–कोडरमा, जिला–कोडरमा के द्वारा Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 7 का उल्लंघन कर माईका, क्वार्टज़ एवं फेल्सपार खनिज का भण्डारण किया जा रहा था।

अतः Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 11 (v) के आलोक में सभी भण्डारित खनिज को राज्यसात किया जाता है। राज्यसात किये गये भण्डारित खनिज की निलामी हेतु जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा पूर्व में खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा राज्यसात किये गए खनिज का JSMDCL के माध्यम से निलामी कराने के दिशा–निर्देश/निर्णय के आलोक में सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करेंगे। कोडरमा अंचल के बोना काली में स्थित दुर्गा मंडप के पीछे स्थित माईका, क्वार्टज़ एवं फेल्सपार खनिज के गोदाम परिसर जो सील किया गया है, उसको खोलने का निदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि विपक्षी माईका, क्वार्टज़ एवं फेल्सपार खनिज का कारोबार करने हेतु आवश्यक सभी प्रकार के लाईसेन्स/अनुमति संबंधित विभाग से प्राप्त करने के उपरांत हीं वहां पर कारोबार करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा अपने टीम के साथ परिसर को सीलमुक्त करते वक्त पूर्व में जिम्मेनामे पर दिये गए भंडार का जॉच कर JSMDCL के द्वारा निलामी होने तक जब्त स्टॉक सुरक्षित रहे इस हेतु आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

25/3/21

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा सत्यमेव जयते

25/3/21

उपायुक्त
कोडरमा।

Digitally signed by PARAS NATH YADAV
Date: 2021.10.01 04:17:19 -07:00
Location: 192.168.21.118